कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रायगढ़ छ.ग.

कलेक्टोरेट परिसर पोस्ट चक्रधर नगर रायगढ़,छत्तीसगढ़–496001
फोन/फैक्स 07762–220310 Email-raigarhminingoffice@gmail.com

क्रमांक 4011 /ख.लि.–1/2017 रायगढ़ दिनांक 12/01/2017

गौण खनिजों के उत्खनन पट्टा आबंटन हेतु इलेक्ट्रॉनिक–निविदा

प्रपत्र

Tender/Event No. :- MSTC/NRO/DGM/CHHATTISGARH/41/NAYA RAIPUR/16-17/17513

सर्वसाधारण की जानकारी के लिये यह प्रकाशित किया जाता है कि जिला कार्यालय **रायगढ़** छत्तीसगढ़ द्वारा छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 39क अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के माध्यम से निम्नानुसार उत्खनन पट्टा आबंटन किया जाना है। जिस हेतु अर्हता प्राप्त इच्छुक बोलीदारों को आमंत्रित किया जा रहा है।

इलेक्ट्रॉनिक–निविदा हेतु बोली, दिनांक **15.02.2017 समय, रात्रि 11.59 बजे** तक जमा की जाएगी। बोलियां मात्र ऑनलाईन ही स्वीकार की जाएगी।

इलेक्ट्रॉनिक निविदा से आबंटित की जा रही उत्खनन पट्टा की जानकारीः–

क्र.	जिला/तहसील	ग्राम पंचायत/ग्राम	रकबा (हेक्टेयर में)	खसरा नं.	गौण खनिज का नाम	निविदा दस्तावेज लागत (रूपए में)	निविदा प्रक्रिया शुल्क (रूपए में)	आरक्षित कीमत (रिजर्व प्राईस) (रूपए में)	बोली प्रतिभूति (बिड सिक्यूरिटी) (रूपए में)	कार्यपालन प्रतिभूति (परफॉरमेंस सिक्यूरिटी) (रूपए में)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1	रायगढ़/खरसियां	चोढ़ा / चोढ़ा	1.132 हे.	324/1, 324/2, 328 329/2, 329/3	चूनापत्थर	5000=00	500=00	16=00 प्रतिटन	25470=00	127350=00

1. बोली लगाने वाला प्रत्येक व्यक्ति बोली लगाने के पूर्व उत्खनन पट्टा की स्थिति, उत्खनन पट्टा में नीलाम किये जा रहे खनिज (खनिजों) की उपलब्धता और गुणवत्ता, पहुंच के रास्ते आदि के बारे में पूर्ण रूप से स्वयं को आश्वस्त कर लें। इस संबंध में किसी प्रकार की आपत्ति/शिकायतें स्वीकार नहीं की जायेगी।
2. इलेक्ट्रॉनिक–निविदा के निबंधन, शर्ते, उत्खनन पट्टा से संबंधित दस्तावेज एवं अन्य सुसंगत जानकारी जिले की वेबसाईट **www.raigarh.gov.in** तथा कलेक्टर कार्यालय, खनिज शाखा से किसी भी कार्य दिवस में कार्यालयीन समय में प्राप्त की जा सकेगी।

(कलेक्टर महो0 द्वारा आदेशित)

उप संचालक (ख.प्र.)
वास्ते कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)

क्षेत्र में उपलब्ध खनिजों का प्रतिवेदन एवं विवरण/संक्षेपिका

(1) स्थान का विवरण –

(i) जिला – रायगढ़

(ii) तहसील – खरसियां

(iii) ग्राम– चोढ़ा

(iv) टोपोशीट नंबर – 64 N/4

(v) अक्षांश/देशांश (यदि उपलब्ध हो) –

Points		Latitude		Longtitude
A	N	$22^0$0'47.19"	E	$83^0$8'1.04"
B	N	$22^0$0'43.58"	E	$83^0$8'01.58"
C	N	$22^0$0'40.95"	E	$83^0$7'58.78"
D	N	$22^0$0'43.05"	E	$83^0$7'58.24"
E	N	$22^0$0'43.73"	E	$83^0$7'58.46"
F	N	$22^0$0'44.58"	E	$83^0$7'56.83"

(2) क्षेत्र का विवरण –

स.क्र.	खसरा क्र.	रकबा (हे.)		भूमि का प्रकार (राजस्व भूमि/वन भूमि/निजी भूमि इत्यादि)	नोइयत (पहाड़ चट्टान/घास/चारागाह इत्यादि)
		कुल क्षेत्र	उपलब्ध क्षेत्र		
1	324/1	0.166	0.166	निजी भूमि	निजी भूमि
2	324/2	0.166	0.166	निजी भूमि	निजी भूमि
3	328	0.445	0.445	निजी भूमि	निजी भूमि
4	329/2	0.384	0.145	निजी भूमि	निजी भूमि
5	329/3	0.210	0.210	निजी भूमि	निजी भूमि
कुल खसरा न. 05 एवं उनके भाग		1.371 हे.	1.132 हे.	निजी भूमि	निजी भूमि

(3) खनिज का विवरण –

स.क्र.	खनिज	विवरण	रिमार्क
1	नाम – निम्न श्रेणी चूनापत्थर	विश्लेषण रिपोर्ट अनुसार निम्न श्रेणी चूनापत्थर प्रतीत होता है।	विश्लेषण रिपोर्ट क्षेत्रीय कार्यालय बिलासपुर के पत्र दिनांक 30.03.2013 के अनुसार।
2	पूर्वेक्षित/अपूर्वेक्षित	अपूर्वेक्षित	–'
3	अनुमानित भंडार	181440=00 मै.टन	–'
4	ग्रेड	निम्न श्रेणी चूनापत्थर	–'
	अन्य जानकारी (आवेदित क्षेत्र एवं 100 मीटर के दायरे में दृष्टिगोचर सरफेस फीचर्स् जैसे – आउटकॉप, नाला/रोड कटिंग, कुआँ/ट्यूब वेल इत्यादि)	आवेदित क्षेत्र प्रतिबंधित दूरी से नियमानुसार बाहर है। आसपास पूर्व में उत्खनित गड्ढों का अवलोकन से खनिज चूनापत्थर होने की प्रबल संभावनाएं है।	–

(कलेक्टर महो0 द्वारा आदेशित)

उप संचालक (ख.प्रं.)
वास्ते कलेक्टर, रायगढ़ (छ.ग.)

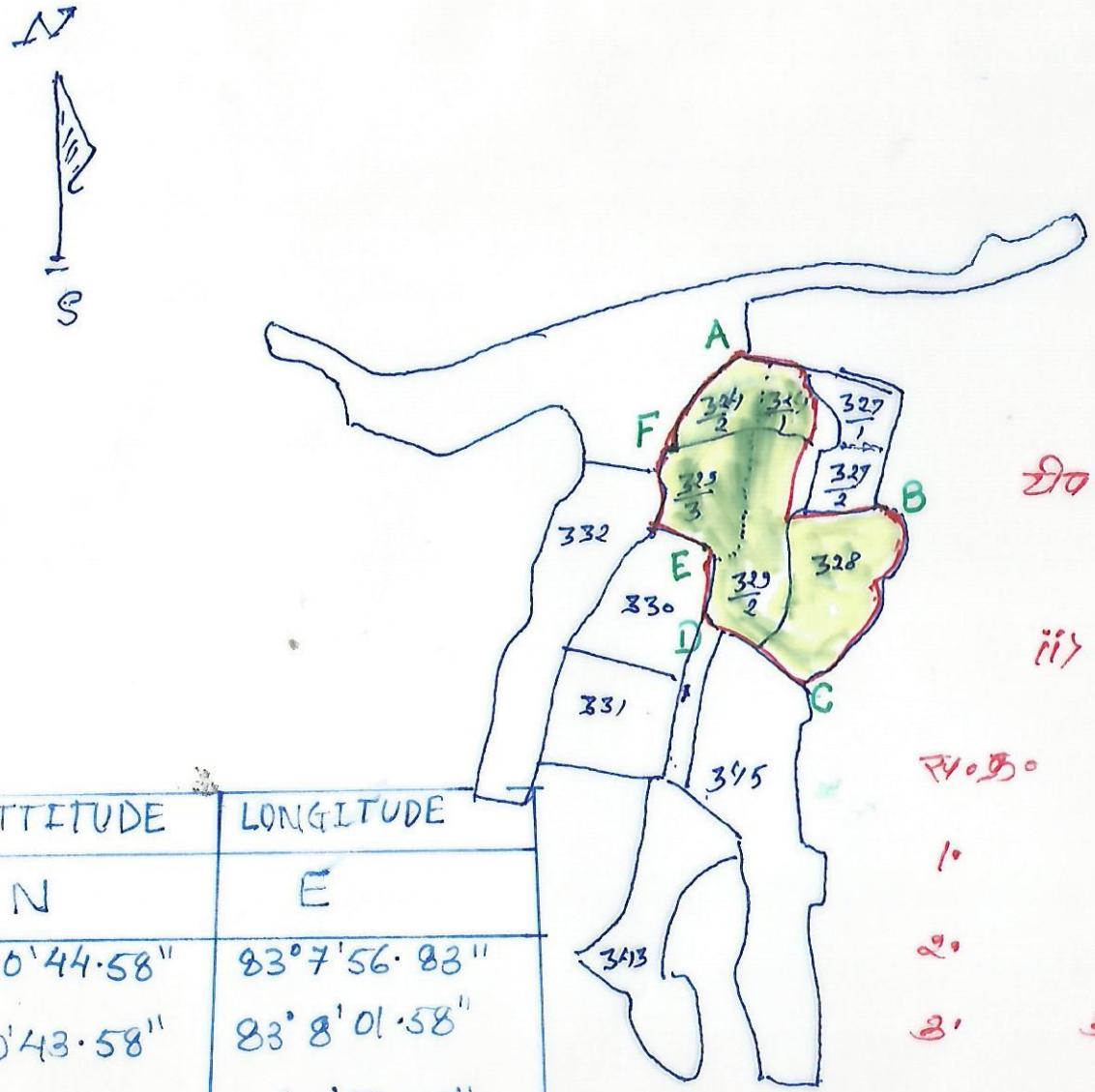

NT	LATTITUDE	LONGITUDE
	N	E
	22° 0' 44.58"	83° 7' 56.83"
	22° 0' 43.58"	83° 8' 01.58"
	22° 0' 40.95"	83° 7' 58.78"
	22° 0' 43.05"	83° 7' 58.24"
	22° 0' 43.73"	83° 7' 58.46"
	22° 0' 44.58"	83° 7' 56.83"

प्रभारी निरीक्षक
रायगढ़ (छ.ग.)

टुकड़ा नक्शा

ग्राम - चोंढ़ा

प.ह.नं. 8

त.नि.म. खरसिया

जिला - रायगढ़

टीप :- i) उपलब्ध क्षेत्र को लाल स्याही से चिन्हांकित किया गया है

ii) कुल उपलब्ध क्षेत्र का विवरण :-

स.क्र.	खसरा नं.	कुल क्षेत्र (हे.)	उपलब्ध क्षेत्र
1.	324/1	0.166	0.166
2.	324/2	0.166	0.166
3.	328	0.445	0.445
4.	329/2	0.384	0.145
5.	329/3	0.210	0.210
		1.371 (हे.)	1.132 (हे.)